कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

तृतीय नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित 01 साईकिल स्टैण्ड, 01 तम्बाकू रहित पान की दुकान, 01 चाय कैन्टीन की दुकान एवं 02 फोटोस्टेट मशीन की दुकानों तथा नवीन न्यायालय परिसर वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ में स्थित 01 साईकिल स्टैण्ड को वित्तीय वर्ष 2026–2027 (दिनाँक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक) के लिये ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु नीलामी **दिनाँक 24.03.2026 दिन मंगलवार, सायं 01:30 बजे** नियत है।

इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.allahabadhighcourt.in,** एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.hathras.nic.in** जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/hathras** एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनाँकः 10.02.2026

10/02/26

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

Vinay Kumar

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. यह ठेका दिनाँक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए वैध है।

02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर बोली जायेगी।

03. वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु मुख्यालय पर स्थित साईकिल स्टैण्ड ठेके का आधार मूल्य रु० 24,20,000.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2025–2026 की तुलना में (रु० 22,00,000.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है। साईकिल स्टैण्ड हेतु बतौर जमानत रु० 50,000/– की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

04. वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु मुख्यालय पर स्थित नाम परिवर्तित फोटोस्टेट मशीन की दुकान का आधार मूल्य रु० 72,721.00 की धनराशि होगी, जो अन्तिम बार वित्तीय वर्ष 2025–2026 में निर्धारित धनराशि की तुलना में (रु० 66,110.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है। फोटोस्टेट मशीन की दुकान हेतु बतौर जमानत रु० 20,000/– की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

05. वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु मुख्यालय पर स्थित नवनिर्मित फोटोस्टेट की दुकान का आधार मूल्य रु० 89,100.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2025–2026 में निर्धारित धनराशि की तुलना में (रु० 81,000.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है। फोटोस्टेट मशीन की दुकान हेतु बतौर जमानत रु० 20,000/– की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

06. वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु मुख्यालय पर स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान का आधार मूल्य रु० 91,300.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2025–2026 की तुलना में (रु० 83,000.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है। तम्बाकू रहित पान की दुकान हेतु बतौर जमानत रु० 20,000/– की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

07. वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु मुख्यालय पर स्थित चाय कैन्टीन की दुकान का आधार मूल्य रु० 2,69,500.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2025–2026 की तुलना में (रु० 2,45,000.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है। चाय कैन्टीन की दुकान हेतु बतौर जमानत रु० 50,000/– की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

08. वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ स्थित साईकिल स्टैण्ड ठेके का आधार मूल्य रु० 3,88,410.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2025–2026 की तुलना में (रु० 3,53,100.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है। वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ स्थित हेतु बतौर जमानत रु० 50,000/– की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

09. जिस व्यक्ति/सर्वाधिक बोलीदाता के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25–25 प्रतिशत की 03 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई–2026, 01 अक्टूबर–2026 एवं 01 जनवरी–2027) में जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

10. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/सर्वाधिक बोलीदाता के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।

11. ठेके को स्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश होगा।

12. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।

13. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके को अनुमोदित किया जायेगा, वह ठेके की चिन्हित जगह पर ही कार्य करेगा। अन्य किसी स्थल पर कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा।

14. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके/दुकान को अनुमोदित किया जायेगा, उसको अपने साथ दो जमानतदार (मय जमानत प्रपत्र) भी उपस्थित करना पड़ेगा।

15. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।

प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प एवं अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा।

10/03/26

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।